BCC BULLETIN

THE BIHAR CHAMBER OF COMMERCE

Estd. 1926

Vol. XXXXIII | 15th August 2012 | No. 10

देश के 13वें राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी

महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हार्दिक अभिनन्दन

चैम्बर की अभ्यागत पुस्तिका में दिनांक 20.7.1992 एवं दिनांक 10.4.1993 को स्वार्णाक्षरों में अंकित तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री के रूप में माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के आशीर्वचन

Glad to visit the Bihar Chamber of Commerce. I had a very useful discussion with the Members. I wish the Chamber all success.

Pranab Mukherjee
20/7/92

Sri Pranab Mukherjee
Dy. Chairman Planning Commission
20.07.1992

It was a pleasure to have the opportunity of interaction with the members of Bihar Chamber of Commerce and Industries. The subject of today's discussion on the foreign trade is topical and of interest. Export is not only necessary to support import requirement but also to contribute to the overall growth of the economy. Bihar has immense potentiality in exporting agro based products and silk, fruits and grains. This potentiality is to be exploited fully.

[illegible]
10/4/93.

Sri Pranab Mukherjee
Union Minister for Commerce &
Dy. Chairman Planning Commission
10.4.1993

इससे पूर्व भी माननीय श्री प्रणब मुखर्जी दिनांक 03.03.1984 एवं 03.12.1991 को कृपापूर्वक चैम्बर में पधार चुके हैं।

उद्यमी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा

• उद्यमियों के रिस्क फैक्टर होंगे कम

लंबी अवधि के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 जुलाई 2012 को उद्यमी पंचायत लगाई। पंचायत में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे निवेश को आगे आएं। सरकार उनकी मदद को तैयार है। कोशिश हो रही है कि उद्यमियों के रिस्क फैक्टर को और कम किया जाये। उन्होंने उद्यमियों और कारोबारियों को आश्वस्त किया कि उनके काम में जो भी बाधा डालेगा, उनपर कार्रवाई होगी। प्रशासन और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो उनसे सरकार सीधे जवाब मांगेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित उद्यमी पंचायत में बड़ी संख्या में उद्यमी व कारोबारी शामिल हुए।

निवेश सलाहकार पर्षद व मुंबई में निवेश आयुक्त : मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी निवेश के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए पहले से ही यहाँ एसआइपीबी है। यहाँ आनलाइन आवेदन दे सकते हैं। अब जल्द ही सरकार बिहार निवेश एवं सलाहकार पर्षद के गठन की अधिसूचना जारी करेगी। पर्षद में देश के नामी-गिरामी उद्यमियों को शामिल किया गया है। इसकी पहली कांफ्रेंस मुंबई में होगी। सेबी के अध्यक्ष को भी इससे जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार मुंबई में निवेश आयुक्त का कार्यालय भी खोलने जा रही है। उद्योग मित्र को सुदृढ़ किए जाने के मेकनिज्म पर भी काम चल रहा है।

माह के हर पांचवें सोमवार को लगेगी उद्यमी पंचायत : *उद्यमी पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह एलान किया कि अब माह के हर पांचवें सोमवार को वह उद्यमी पंचायत लगायेंगे। इसमें उद्योग व कारोबार जगत की समस्याएं सुनी जायेंगी और उनका समाधान किया जाएगा। यह संस्थागत व्यवस्था बनेगी। बाद के दिनों में यह तय किया जायेगा कि कभी वैट तो कभी चीनी उद्योग, राइस मिल, बुनकर या फिर लघु उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर आधारित उद्यमी पंचायत होगी।*

क्लैरिफिकेशन कमेटी : कारोबारियों ने यह मांग रखी कि सरकार क्लैरिफिकेशन कमेटी बनाए। सरकारी नीतियों, संकल्प व अधिसूचना के संबंध में तमाम किस्म की शंका का समाधान यह कमेटी करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास आयुक्त शीघ्र ही क्लैरिफिकेशन कमेटी का गठन करेंगे। वैसे उद्यमियों को भी यह सोचना चाहिए कि वे सिर्फ बैसाखी के सहारे चलने की आदल न डालें। बैसाखी पकड़ेंगे तो देश की दौड़ में पीछे रह जाएंगे।

रिटेल में एफडीआई का विरोध : मुख्यमंत्री ने कारोबारियों के समक्ष जोरदार अंदाज में कहा कि उनकी सरकार खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफीडीआई) के खिलाफ है। मुख्मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को इस संबंध में पत्र लिख सरकार ने अपनी राय स्पष्ट रूप से जाहिर कर दी है।

रीजनल हब पर जोर : मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को यह परामर्श दिया कि वे बिहार में रीजनल हब विकसित करें। इससे क्षेत्रीय असमानता खत्म होगी। यह जरूरी नहीं है कि सभी चीजें पटना के समीप ही हों। इस क्रम में उन्होंने यह बात भी कही कि पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा स्थित हवाई अड्डा से एयरपोर्ट अथॉरिटी को व्यवसायिक उड़ान शुरू करनी चाहिए।

• निवेश को आगे आयें उद्यमी

उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उद्योगों के लिए कंपाउंडिंग संभव नहीं। उद्यमियों ने उद्यमी पंचायत में इस मसले को उठाया था। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे डीलरों के लिए एकमुश्त कर की योजना लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है पर इसके बावजूद इसका बेहतर रिस्पांस नहीं मिला है। उन्होंने उद्यमियों द्वारा परचेज प्रेफरेंस पालिसी की मांग पर कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। श्री मोदी ने कहा कि वाणिज्य-कर विभाग के संदर्भ में सरकार की प्राथमिकता यह है कि इस साल उक्त महकमे की सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर लिया जाए। यह हो जाने से सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को कई बार यह लगता है कि कृषि पर अधिक ध्यान है, सरकार का। पर कृषि और उद्योग में किसी तरह की टकराहट नहीं है। हर विषय की अपनी प्राथमिकता है। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब बिहार के इस हिस्से में इतनी बड़ी संख्या में उद्योग लग रहे हैं।

उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा ने बताया कि सरकार प्रोजेक्ट मानीटरिंग एजेंसी की संख्या बढ़ाने जा रही है। यह मामला प्रक्रियाधीन है। यह सही है कि एक एजेंसी की वजह से परेशानी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि कारपस फंड शुरू किए जाने का मामला भी प्रक्रिया में है। उद्यमी पंचायत में उद्यमियों द्वारा खास औद्योगिक क्षेत्र परिसर में जमीन उपलब्ध कराये जाने के प्रश्न पर उद्योग मंत्री ने कहा कि सभी उद्यमी अगर चाहेंगे कि उन्हें मुजफ्फरपुर, हाजीपुर व फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में ही जमीन मिले तो यह संभव नहीं है। वह दूसरे स्थान को भी देखें। डीपीआर पर मिलने वाले 35 प्रतिशत अनुदान के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह चार फेज में मिलना है। स्थापना की स्वीकृति के बाद ही अनुदान लें।

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का विरोध करेंगे

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के मसले की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध होगा। मुख्यमंत्री ने कारोबारियों के समक्ष जोरदार अंदाज में यह बात कही कि उनकी सरकार खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केन्द्र से उन्हें चिट्ठी आयी थी और इस बारे में राय मांगी गयी थी। संबंधित मंत्री आनंद शर्मा ने उन्हें फोन भी किया था। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को इस संबंध में पत्र लिख सरकार ने अपनी राय स्पष्ट रूप से रख दी है। पांच मुद्दों पर पूरी बात लिखी गयी है। आनंद शर्मा को लिखे पत्र के आखिरी हिस्से को उन्होंने उद्यमी पंचायत में पढ़कर भी सुनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि रिटेल में एफडीआई का हश्र यह होगा कि जिन्हें रोजगार मिला हुआ है वह उजड़ जाएंगे। बात कही जा रही है कि एफडीआई में स्थानीय व्यापारियों को 30 प्रतिशत की सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। यह सब बातें आंख में धूल झोंकने वाली है। एक बार जब रिटेल में एफडीआई का दबदबा हो जायेगा तो वह अपने शर्तों पर काम करने लगेगी। इससे किसानों और उपभोक्ताओं का भी अहित होगा।

(साभार : दैनिक जागरण ३१.०७.२०१२)

उद्यमी पंचायत में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह का सुझाव

परम् आदरणीय मुख्यमंत्री जी,

सर्वप्रथम उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े हुए समस्याओं को जानने एवं उनके निराकरण के लिए आपके द्वारा उद्यमी पंचायत आयोजित करने के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका हार्दिक धन्यवाद करता है ।

महोदय, आपके कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा राज्य सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है आज राज्य की विकास दर लगातार कई सालों से देश के विकसित प्रान्तों की तुलना में काफी उँचाई पर है । राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए किये जा रहे आपके प्रयासों के कारण ही यह संभव हो पाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं ।

महोदय, आपके नेतृत्व ने राज्य के उद्यमियों को मान और सम्मान से जीने का अधिकार दिया है । बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं यहाँ किसी तरह की मांग या शिकायत रखने के लिए नहीं खड़ा हूँ क्योंकि जबकि हमारे राज्य के मुखिया प्रान्त के हर वर्ग के लोगों की समस्या के प्रति इतने संवेदनशील हैं तो किसी तरह की शिकायत या किसी तरह का असंतोष होने की संभावना ना के बराबर है । इसका ज्वलंत उदाहरण आपके समक्ष रखे गए दो ज्वलंत समस्यओं की ओर दिलाने के बाद सरकार के स्तर पर त्वरित निर्णय लिए जाने के लिए राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं :-

(i) वाणिज्य-कर विभाग द्वारा Input Tax Credit के संबंध में संशोधन जिसके विषय में राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी है और आशा है कि विधान सभा के इस सत्र में यह पारित होकर संशोधित हो जाएगा ।

(ii) Equitable Mortgage के Stamp Duty के बारे में है, जो देश के अन्य प्रान्तों से कफी अधिक था । उस विषय में भी राज्य मंत्रिपरिषद ने तर्कसंगत निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे दी है ।

आपके संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय का हम स्वागत करते हैं ।

महोदय, हमने उद्योग एवं व्यवसाय की कुछ कठिनाईयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक स्मार-पत्र तैयार किया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे कि उन बिन्दुओं पर आपके द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित निर्णय लिए जाने से राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय को और प्रोत्साहन मिलेगा ।

१. ऐसा अनुभव किया गया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, 2011 के अन्तर्गत बियाडा कानून एवं नियम, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, वैट एक्ट से संबंधित अधिसूचनाएं, श्रम संसाधान विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं आदि जैसे एक्ट, पॉलिसी एवं अधिसूचनाओं की व्याख्या में कई बार काफी गलतफहमियाँ होती हैं । विभाग के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के बीच एक राय नहीं बन पाती है जिससे कि राज्य के औद्योगिक विकास में अनिश्चितता बढ़ती है ।

जिस प्रकार औद्योगिक नीति 2011 की कंडिका 14 के अन्तर्गत औद्योगिक नीति के प्रावधानों की व्याख्या एवं समाधान हेतु एक समिति का गठन किया गया है । उसी प्रकार से उक्त मत भिन्नता के निवारण हेतु एक राज्यस्तरीय Clarification Committee बनायी जानी चाहिए जिसमें सरकार और उद्योग एवं व्यवसाय का समान रूप से प्रतिनिधित्व रहे तथा उक्त कमिटी का निर्णय सर्वमान्य हो । इस सन्दर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिनांक 25 मार्च, 2012 को अभ्यावेदन देकर निवेदन किया था और उन्होंने कृपापूर्वक इस तरह की Clarification Committee का गठन कराने का आश्वासन दिया था ।

२. **उद्योंगों के खिलाफ FIR दाखिल करने के दुरूपयोग के सम्बन्ध में ।**

ऐसा अनुभव किया गया है कि किसी कारखाने/औद्योगिक इकाई के बाहर, इकाई से 10.5 किलोमीटर दूर, कोई अप्रिय घटना उस इकाई से संबंधित किसी कामगार, ड्राईवर-खलासी, आपूर्तिकर्ता इत्यादि के साथ घटित होती है तो संबंधित स्थानीय थाना द्वारा ऐसी घटनाओं में येन-केन-प्रकरेण औद्योगिक इकाई के नाम को जोड़ने का प्रयास किया जाता है जिससे संबंधित इकाई बुरी तरह से परेशान होती है। अत: हमारा सुझाव है कि इस प्रकार की मनमानी पर रोक लगाने हेतु कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे खान (Mines) में कोई घटना घटित होने पर डायरेक्टर माइन्स सफेटी के Report के बाद ही FIR पर कारवाई होती है, उसी तरह से फैक्ट्री के अन्दर घटना घटित होने पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर के Report के बाद FIR कारवाई हो तथा फैक्ट्री के बाहर घटना घटित होने पर, DSP के Supervision Report पर Superintendent of Police के Report II होने के बाद ही FIR पर कारवाई हो।

३. वणिज्य-कर विभाग द्वारा अब लगभग सारा कार्य Electronic माध्यम से किया जा रहा है । इसी के आलोक में हमारा अनुरोध है कि पात्र इकाईयों को वैट की प्रतिपूर्ति भी Electronic Transfer के माध्यम से सीधे व्यवसायी (उद्यमी) के बैंक खाते में जमा होने की व्यवस्था होनी चाहिए।

४. नये उद्योग लगाने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पषर्द द्वारा Project अनुमोदित होने के बाद भी उद्यमियों को विभिन्न विभागों का Clearance लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । हमारा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि SIPB Approved Projects को Single Window पर सभी विभागों का Clearance प्राप्त हो जाये ।

५. **औद्योगिक नीति के अन्तर्गत नई औद्योगिक ईकाई के स्थापित होने से पुरानी ईकाई के बन्द हो जाने के संबेध में**

राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 देश के किसी भी राज्य की औद्योगिक नीति से अच्छी है एवम् राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रोत्साहन दिये गये हैं, जिसका उपयोग राज्य के औद्योगीकरण के लिए होना चाहिए ।

किसी भी राज्य की औद्योगिक नीति यह अनुमति नहीं दे सकती है कि नई औद्योगिक इकाई सरकार से आर्थिक एवम् अन्य सहायता प्राप्त करें एवम् कार्यरत पुरानी इकाई बंद हो जाय।

इस सम्बन्ध में हमारा यह आग्रह है कि अगर कोई पुरानी कार्यरत इकाई, किसी खास कम्पनी के लिए खास ब्रांड का प्रोडक्ट बनाती है तथा वह खास ब्रांड की कम्पनी उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए नई इकाई स्थापित करती है और इसके फलस्वरूप राज्य में कार्यरत पुरानी इकाई बंद हो जाती है तो नई स्थापित इकाई को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वैट की प्रतिपूर्ति एवं आर्थिक प्रोत्साहन, पुरानी बंद हो गई इकाई के स्थापित क्षमता (Installed Capacity) को घटाने के बाद जो अतिरिक्त क्षमता नई इकाई द्वारा स्थापित की गई है उसी पर ही वैट प्रतिपूर्ति एवं अन्य प्रोत्साहन राशि अनुपातिक मिलनी चाहिए।

६. **खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का विरोध करता है, क्योंकि खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी का निवेश होने से लाखों छोटे-छोटे दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे जो स्वनियोजन द्वारा अपनी जीविकोपार्जन करते हैं । हम विदेशी निवेश के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यह निवेश आधारभूत संरचना के क्षेत्र में होना चाहिए ना कि खुदरा दुकानदारों के रोजी-रोटी की कीमत पर । हमारा आग्रह है कि राज्य सरकार राज्य में खुदरा प्रक्षेत्र में विदेशी निवेश की इजाजत नहीं दे ।

७. किसी भी राज्य के विकास के लिए आन्तरिक श्रोतों से धन की व्यवस्था जरूरी है । राज्य की सीमाओं पर चेक पोस्ट कार्य करने लगे हैं, उन्हें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे कि राजस्व में वृद्धि हो । साथ ही सही व्यवसायियों का व्यापार बढ़े । राज्य के वैट संग्रहण में 10% व्यवसायियों की भागीदारी 90% है और 90% व्यवसायियों की भागदारी 10% है लेकिन इसके साथ ही कोई इस तरह का Mechanism विकसित हो कि 90% व्यवसायी जिससे 10% राजस्व की प्राप्ति होती है और वह सिर्फ राज्य के अन्तर्गत ही व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस तरह के Compounding Payment के अन्दर लाने की व्यवस्था हो जिसमें उन्हें सिर्फ रसीद कटाकर राजस्व जमा करके अपने व्यवसाय करने की व्यवस्था हो तथा उस अफसरशाही के मकड़जाल में फंसने की संभावना नहीं रहे । तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि इससे राज्य के राजस्व में काफी वृद्धि होगी ।

८. **ENTRY TAX SHOULD NOT BE KEPT MORE THAN VAT RATE**

As announced by the Government through the Budget Speech, the rate of Entry Tax of any commodity should not be kept more than the rate of VAT.

९. **ENTRY TAX SHOULD BE ABOLISHED FOR INDUSTRIES**

There should not be any Entry Tax on industrial raw materials and plant & machinery - as announced by the Hon'ble Dy. Chief Minister in his budget speech.

१०. **CONSTITUTION OF ONE TIME SETTLEMENT SCHEME**

The Government had announced in the Budget Speech for FY 2008-2009 that a One Time Settlement Commission would be constituted. It should be expeditiously constituted.

११. **SMALL DEALERS TO BE EXEMPTED FROM E-FILING**

E-Filing has been made mandatory for all class of dealers, which is quite cumbersome and difficult for the small dealers. We, therefore, wish to suggest that such dealers whose annual tax does not exceed Rs. One lac should be exempted from e-filing.

उद्यमी पंचायत में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी के अग्रवाल का सुझाव

१. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कार्यनीति की कंडिका (ix) के द्वारा राज्य सरकार ने अन्य कुछ उद्योगों के साथ निम्नलिखित उद्योगों को भी थ्रस्ट एरिया में रखा है ।

- **सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल • उच्च/तकनीकी अध्ययन संस्थान**
- **इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर उद्योग • वस्त्र उद्योग**

इसी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कंडिका 6 में यह संकल्प लिया गया है कि चिन्हित् थ्रस्ट एरिया के उद्योगों के लिए इस औद्योगिक नीति में वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से प्रोत्साहन नीति निर्गत किया जाएगा ।

यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि थ्रस्ट एरिया में वैसे ही औद्योगिक प्रक्षेत्र चिन्हित् किये जाते हैं जिनमें राज्य के Core Competence Industrial Sector बनने की क्षमता हो लेकिन आज तक उपरोक्त थ्रस्ट एरिया के औद्योगिक प्रक्षेत्रों के लिए पृथक प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा नहीं हो पाई है । अत: हमारा अनुरोध है कि इस विषय को प्रथमिकता के आधार पर लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा करें ।

२. **उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में**

चूँकि बियाडा के पास उद्योगों की स्थापना हेतु मांग अनुसार जमीन की कमी है । अत: इस संबंध में हमारे निम्नांकित सुझाव हैं :-

उद्योग के उपयोग हेतु भूमि बैंक के गठन का अनुरोध

बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । थर्मल

पावर प्लान्ट इत्यादि जैसी इकाईयों की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े भू-भाग की आवश्यकता है । इसके साथ ही अन्य उद्योगों के लिए भी ऐसे भू-भाग का प्रबन्ध करना होगा । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :-

• भूमि बैंकों की स्थापना द्वारा • निजी औद्योगिक प्रांगणों को Promote करने हेतु नीति बनायी जानी चाहिए • बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे • ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एवं स्टेटस की स्थापना द्वारा • औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह-जगह पर इलाकों को चिन्हित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि Promoter एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें • वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में **''आओ बिहार योजना''** की घोषणा की गई थी इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित कराया जाए • नई औद्योगिक इकाईयाँ यदि अपनी आवश्यकता का 50% या 60% या 70% से अधिक जमीन की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेती हैं तो बाकी बचे जमीन हेतु बगल में यदि गैर-मजरूआ जमीन हो तो उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है । यदि जमीन की और आवश्यकता शेष रह जाती है तो उसे भी सरकार बाजार दर पर जमीन अधिग्रहण कर उद्यमी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है ।

३. उद्योगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि संबंधित उद्योगों को ऑन लाइन Credit करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । साथ ही इसके लिए Right to Service Act के अन्तर्गत एक समय सीमा भी निर्धारित की जा सकती है ।

४. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के अन्तर्गत AMG/MMG से औद्योगिक इकाईयों को छूट दिये जाने का प्रावधान है । परन्तु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड केवल KWH पर ही उपरोक्त छूट दे रही है जबकि AMG/MMG में KVA तथा MVA भी आते हैं । इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड यह प्रोत्साहन उद्यमियों को उपलब्ध नहीं करा रहा है ।

इस सन्दर्भ में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने विभागीय ज्ञापांक 1837 दिनांक 31.05.2011 के द्वारा कुछ औद्योगिक इकाईयों के मामले में यह निर्णय दिया था कि HTSS श्रेणी के उपभोक्ताओं को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के अन्तर्गत MMC में छूट दिया जाना है जिसकी प्रतिपूर्ति बोर्ड को राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी । इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के प्रावधानों के तहत देय छूट अनुमान्य की जा रही है । प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के उक्त आदेश के बावजूद भी बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाईयों को MMC की छूट जिसमें KVA/MVA भी शामिल है, नहीं मिल पा रही है । अत: निवेदन है कि संबंधित इकाईयों को MMC Charge (KVA/MVA) से छूट उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

५. पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत होटलों को MMG/AMG से छूट

बिहार सरकार ने सभी प्रकार के होटलों को पर्यटन उद्योग में सम्मिलित किया है तथा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और तदनुरूप औद्योगिक नीति 2006 के अन्तर्गत मिलनेवाले सभी प्रोत्साहनों के लिए उन्हें भी प्रोत्साहन का पात्र बनाया है । परन्तु दुर्भाग्यवश होटल उद्योग को विद्युत बोर्ड द्वारा MMG/AMG से अब तक छूट प्राप्त नहीं हो रही है । इस संबंध में चैम्बर ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपरोक्त छूट देने का आग्रह किया था परन्तु बोर्ड के वित्तीय नियंत्रक -I ने अपने पत्र संख्या 1007 दिनांक 25.4.2011 द्वारा चैम्बर को यह सलाह दी गई कि इस संबंध में उद्योग विभाग से सम्पुष्टि पत्र उपलब्ध कराया जाए।

६. बियाडा से संबंधित मुद्दे

(क) बियाडा द्वारा लीज डीड का एक नया प्रारूप बनाकर उसे सुझाव हेतु परिचालित किया गया था उस पर चैम्बर ने विभिन्न राज्यों में लागू लीज डीड मंगाई और बियाडा के प्रारूप के साथ उसका तुलनात्मक अधययन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बियाडा के लीज डीड के प्रारूप में विसंगतियाँ थी । तदुपरान्त चैम्बर ने बियाडा लीज डीड प्रारूप पर अपने सुझावों के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर विभाग को समर्पित किया है, जिसकी प्रति संलग्न है (Enclosed as Annexure - D)। अत: अनुरोध है कि हमारे उक्त प्रतिवेदन के आलोक में सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा की जाए ।

(ख) अन्य राज्यों की तरह ही एक समय सीमा के बाद लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदला जाए ।

७. सामग्री-खरीद अधिमानता नीति में आवश्यक सुधार किया जाना

राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 लागू की । लेकिन नीति में निहित विसंगतियों के कारण राज्य की इकाईयाँ इसका लाभ नहीं उठा पायी । राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-131 में कुछ संशोधन किया है । मगर इसका भी लाभ राज्य के औद्योगिक इकाईयों को नहीं मिल पा रहा है । राज्य की स्थानीय इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर एक व्यवहारिक खरीद अधिमानता नीति बनायी जाय तथा नीति को सरकार की नीति मान कर सरकार के सभी विभाग अपनी खरीददारी में पारदर्शीता रखते हुए इस नीति का अनुपालन करें । हम चाहेंगे कि बजट घोषणा के अनुरूप सामग्री खरीद अधिमानता नीति (Store Purchase Preference Policy) की सरकार नये सिरे से समीक्षा करे । अत: आग्रह है कि समीक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा की जाए जिससे कि इस नीति में आवश्यक सुधार जल्द से जल्द किया जा सके ।

८. बिहार में Pre Stressed/Cast Concrete Pole (PSC/PCC Pole) बनाने की लगभग 40 फैक्ट्रीयाँ कार्यरत हैं लेकिन विद्युतीकरण का Contract बड़ी कम्पनियों को Turn Key basis पर दिया जाता है, जिनके द्वारा ही PSC/PCC Poles का क्रय किया जाता है । बिहार में PSC Pole की खरीद पर 13.5% टैक्स लगता है जबकि बिहार के बाहर से इसे मंगाने पर केवल 2% CST की कर देयता बनती है । इस प्रकार से बिहार में विनिर्मित PSC Pole बाहर की तुलना में 11.5% अधिक महंगा हो जाता है । इसके कारण PSC Pole के निर्माण में लगी इकाइयाँ बुरी तरह से प्रभावित हो रही है ।

सरकार की घोषणा रही है कि बिहार की वैट दरों को पड़ोसी राज्यों मुख्यत: पश्चिम बंगाल के समान रखा जाए । PSC Pole पर बिहार में 13.5% वैट लगता है जबकि पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि में इस पर वैट की दर 5% है । इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल के वैट एक्ट का Schedule-C का Part - III S. No.188 संलग्न है (Enclosed as Annexure - E)।

अत: अनुरोध है कि PSC Pole पर वैट को 13.5% के बदले 5% किया जाए जिससे कि ऐसे औद्योगिक इकाईयों को कुप्रभाव से बचाया जा सके ।

९. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति २००६ के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को वैट/प्रवेश कर प्रतिपूर्ति के देय प्रोत्साहन के संबंध में

राज्य की औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 (बिहार गजट S.ONo.1162 दिनांक 25.07.06 के अन्तर्गत बिहार वैट के मद में भुगतान की गयी करों के अन्तर्गत प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है । इस संबंध में अनुरोध है कि बिहार के औद्योगिकरण के हित में इस विसंगति पर शीघ्रातिशीघ्र साकारात्मक निर्णय लेने कि कृपा की जाये ।

१०. हल्दीया-जगदीशपुर गैस पाइप लाईन में बिहार को गैस में हिस्सेदारी तथा पर्याप्त आवंटन हेतु प्रयास एवं एम.ओ.यू. किया जाय ।

११. सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए ''व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना'' प्रारम्भ की गई थी जिसका उद्यमियों ने उत्साह पूर्वक स्वागत किया था । लेकिन इधर दो-एक साल से यह योजना अभी बन्द है अत: निवेदन है कि इस योजना को पुन: चालू किया जाय ।

१२. हाल के वर्षों में भामाशाह सम्मान योजना का लाभ भी व्यवसायियों को प्राप्त नहीं हो पाया है इसके क्रियान्वयन कराने का आग्रह है ।

१३. विज्ञापन पर वित्त विभाग, बिहार द्वारा कर लिया जाता है परन्तु विज्ञापनकर्ताओं से नगर निकाय भी कर की वसूली करता है, जो कि दोहरा करारोपण है । अत: आग्रह है कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किया जाए जिससे कि विज्ञापन पर एक ही कर लागू हो ।

१४. VAT ON SALE OF FLATS

1% VAT has beenimposed on the sale of flats, which is a jolt for the sagging housing industry, already affected by the ever rising cost of building materials. It is, therefore, suggested that the tax should be collected directly from the buyers at the time of registration of flat. Such collected tax may be deposited to the Commercial Taxes Department on separate account head.

उद्यमी पंचायत राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा – चैम्बर अध्यक्ष

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा 30 जुलाई 2012 को आहुत ''उद्यमी पंचायत'' का हार्दिक स्वागत किया ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की इस पहल को एक अत्यन्त सामयिक, सकारात्मक एवं बहुउपयोगी की संज्ञा देते हुए कहा कि इस प्रकार की बैठक उद्योग एवं व्यवसाय की समस्याओं को सरकार द्वारा पूरी तरह से समझने तथा उनके निदान तलाशने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगा । उद्यमी पंचायत के आयोजन से उद्यमियों एवं व्यवसायियों को सरकार के मुखिया के समक्ष सीधे रूप से अपनी समस्याएं रखने एवं राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के संबंध में अपनी सोच सरकार तक पहुँचाने का एक सुनहरा माध्यम प्राप्त हुआ है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि उद्यमी पंचायत राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा ।

आज के उद्यमी पंचायत में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित किया गया जिसके मुख्य बिन्दुओं पर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, पूर्व अध्यक्ष एवं चैम्बर के इंडस्ट्री सब कमिटी के चेयरमैन श्री पी० के० अग्रवाल ने विस्तार से प्रकाश डाला ।

चैम्बर अध्यक्ष ने उद्यमी पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा चैम्बर के ज्ञापन में समर्पित निम्न सुझावों को कृपापूर्ण स्वीकृति देने के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया :-

1. विभिन्न विभागों द्वारा उद्योग एवं व्यवसाय संबंधित अधिसूचनाओं, संकल्पों, नीतियों इत्यादि की व्याख्याओं में कई बार गलतफहमियाँ रह जाती हैं। विभाग के पदाधिकारियों एवं उद्यमी/व्यवसायी के बीच एक राय नहीं बन पाती फलस्वरूप आर्थिक एवं औद्योगिक विकास अवरूद्ध होता है। इस समस्या के निराकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री ने एक राज्यस्तरीय Clarification Committee गठित कराने की घोषणा की ।

2. माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपनी अनुमति नहीं प्रदान करेगी क्योंकि यह विदेशी निवेश किसान, उद्यमी, व्यवसायी एवं उपभोक्ता सभी के लिए अत्यन्त घातक होगा ।

3. उद्योग हेतु राज्य में भूमि की कमी के आलोक में राज्य सरकार ने निजी औद्योगिक प्रांगणों की स्थापना एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रक्रिया का निर्धारण ।

मननीय मुख्यमंत्री की उपर्युक्त घोषणाओं को राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य औद्योगिक संगठनों/उद्यमियों द्वारा उद्यमी पंचायत में समर्पित सुझावों पर सकारात्मक निर्णय लेने हेतु शीघ्रातिशीघ्र पहल करेगी जिससे कि राज्य में आर्थिक विकास को और गति प्रदान हो सके ।

खाद्य सुरक्षा कानून पर चैम्बर में कार्यशाला

खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में दिनांक 25 जुलाई 2012 को एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री संजय कुमार उपस्थित थे साथ ही विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

खाद्य सुरक्षा कानून पर कार्यशाला को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। उनकी बांयी ओर सुरक्षा आयुक्त श्री संजय कुमार तथा दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर के महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका एवं उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल।

कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री संजय कुमार के समक्ष 15 सुझावों वाला ज्ञापन रखा। उन्होंने कहा कि कानून काफी जटिल है। इसके बारे में आम व्यवसायियों को जागरूक होने की जरूरत है। इस कानून से ठेलावाला, खोमचावाला एवं अन्य फुटपाथी दुकानदारों की परेशानी बढ़ जायेगी और अधिकांश लोग बेरोजगार हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि कानून ऐसा होना चाहिए जो सभी व्यापारियों के लिए सरल हो। उन्होंने इस कानून में संशोधन एवं लागू होने की तिथि को 6 माह के लिए बढ़ाने की मांग की।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने कहा कि यह कानून काफी पेचिदा है। इस कानून से हर छोटे-छोटे फुटपाथी व्यापारी भी परेशानी में पड़ जायेंगे। कानून की जो शर्तें हैं वे सभी ठीक नहीं है। इसमें इतने प्रावधान है कि या तो हम व्यापार बन्द कर दें या कानून को ताक पर रख दें। साफ शब्दों में कहें तो इन शर्तों पर व्यवसायी काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से पूरा मंथन के बाद ही यह एक्ट लागू हो।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए सलाहकार समिति जो बनेगी वह जागरूकता का काम करेगी। झारखण्ड में 3 माह के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ाया गया है, बिहार में भी 6 माह के लिए बढ़ाया जाय।

इसके अतिरिक्त श्री पी. के. सिंह, श्री बी. एन. झुनझुनवाला, श्री रमेश तलरेजा, श्री जी. पी. सिंह, राज्य के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस कानून के सम्बन्ध में अपनी शंकाएं व्यक्त की और अपने सुझाव भी दिये।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री संजय कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसमें व्यापारिक संगठनों सहित आम लोगों को आगे आना होगा। खाद्य सुरक्षा कानून का पालन व्यापारियों के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक प्रखण्ड में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जरूरत है जो खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर नजर रखे। अभी केवल जिला स्तर पर अधिकारी हैं। श्री कुमार ने आगे कहा कि वर्ष 2006 में यह एक्ट बना है, लेकिन 5 अगस्त 2011 से लागू है। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने वाले को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने इंस्पेक्टर राज से खात्मा की बात कही। उन्होने आगे कहा कि कानून के पहली बार इम्प्लीमेंट होने में कठिनाई होती है लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाये जाते हैं। खाद्य आयुक्त ने कहा कि अच्छी चीज खाने और स्वस्थ रहने का अधिकार सबको है। उन्होंने व्यवसायियों की कठिनाईयों को दूर करने का पूरा भरोसा दिलाया और व्यवसायियों की शंकाओं के समाधान का भी पूरा प्रयास किया।

इस कार्यशाला में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री डी. पी. लोहिया, श्री मोतीलाल खेतान, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री जी. के. खेतड़ीवाल एवं श्री नन्हे कुमार, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका के अतिरिक्त प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधि काफी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यशाला सम्पन्न हुई।

दिनांक 25 जुलाई 2012 को FOOD SAFETY & STANDARD ACT &RULES 2011 पर आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुत सुझाव

१. नये कानून के अन्तर्गत केवल लाइसेंसधारी ही माल का क्रय-विक्रय कर सकते हैं । इस प्रकार समस्त छोटे-छोटे दुकानदार इस लाइसेंस के अन्तर्गत आ जाते हैं । ये छोटे दुकानदार विभिन्न गलियों, कॉलोनियों तथा गाँव देहातों में अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं एवं उनके लिए लाइसेंस लेना संभव नहीं है । यह लाइसेंस निर्माता, C&F A और Distributors तक ही अनिवार्य होना चाहिए । छोटे दुकानदारों को इससे मुक्त रखा जाना चाहिए । आपूर्ति बाधित होने से बाजार में माल की कमी तो होगी ही साथ ही उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ेगी । छोटे दुकानदारों को अपनी दुकान बन्द करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी ।

२. लाइसेंस के अतंर्गत हर साल 31 मई तक रिटर्न देना अनिवार्य है एवं 05.08.2011 से 31.03.2012 तक का रिटर्न विभाग द्वारा मांगा जा रहा है एवं 31 मई के बाद 100 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जा रहा है । यहाँ हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि जब हमें लाइसेंस 31.03.2012 के बाद निर्गत किया जा रहा है तो फिर लाइसेंस के पूर्व का रिटर्न भरना कहाँ तक उचित है । अत: इसको 31.03.2012 के बदले 31.03.2013 तक का रिटर्न मई 2013 में देना अनिवार्य किया जाना चाहिए ।

३. सभी ट्रान्सपोर्टर को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है । यह बिलकुल अव्यवहारिक प्रतीत होता है । इससे माल की डिलेवरी खर्च काफी बढ़ जाएगा एवं गाड़ियों की कमी के चलते परिवहन में भी काफी दिक्कत आएगी ।

४. इस नये कानून के अन्तर्गत निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक Temperature को Maintain करना अनिवार्य किया गया है । भारत वर्ष विभिन्न ऋतुओं का देश है एवं खुले बाजार में Temperature Maintain करना संभव नहीं प्रतीत होता है ।

५. लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है एवं बहुत सारे कागजात की मांग की जा रही है । इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए ।

६. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सुविधा हेतु कैम्प लगाकर अनुज्ञप्ति निर्गत की जाए । सभी बड़े बाजारों, जिला चैम्बर एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैम्प लगाया जाए । इसके लिए हम सभी तरह के सहयोग करने के लिए तैयार हैं ।

७. डिब्बा बन्द और सील पैक्ड सामान उत्पादक द्वारा तैयार किया जाता है एवं C&FA Distributors और Retailers के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुँचता है । सील बन्द सामान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर केवल निर्माता को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए । C & F A, Distributors एवं Retailers को इसके लिए कतई जिम्मेवार नहीं ठहराया जाना चाहिए ।

८. ठेला एवं खोमचावाले को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है एवं उनके लिए 23 शर्तें लागू कर दी गई है जो बिलकुल अव्यवहारिक है । इस पर विचार होना चाहिए क्योंकि उन शर्तों को पूरी करना उनके लिए असंभव है ।

९. लाइसेंस फी छोटे एवं मध्यम व्यवसायियों के लिए बहुत ज्यादा है । इसको युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए ।

१०. इस कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया है । अत: विज्ञापन एजेंसियों, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाए तब-तक इस कानून का परिपालन शिथिल किया जाना चाहिए ।

११. विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ एक सलाहकार समिति गठित की जाए और सबों के साथ बैठ कर विचार-विमर्श करके कोई भी निर्णय लिया जाना चाहिए ।

१२. जब वैट लागू किया गया था तब यह तय हुआ था कि तकनीकी गलती पाये जाने पर एक साल तक कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं होगी । इसी प्रकार यह व्यवस्था की जाए कि एक साल तक तकनीकी गलतियों में कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाए ।

१३. The provision of giving guarantee in form E in the cash memo/bill to be exempted in case of distributor or dealer selling the goods,since he is not a manufacturer of the product.

१४. State licensing and Central Licensing List.:-

Under the Provisions of Food Safety and Standards (Licensing and Regulation of Food Businesses) Regulation 2011 under Regulation 201.3 it has been mentioned that the "Licenses for Food Business which falls under Schedule-I shall be granted by the Central Licensing Authority provided the Food Authority may through notification make such changes or modify the list given in the Schedule I."

Under Schedule-I (Regulation 2.1.2 (3)) Point No. IX, the Food Business operator operating in two or more state has to obtain the FSSAI license from the Central Licensing Authority and accordingly Food Business operator operating from other state and from Bihar also, has obtained the license from Central Licensing Authority and informed the State Licensing Authorities.

१५. Documents required for the conversion of PFA license in to FSSAI License.

Central Licensing Authority in the meeting held in Bihar Industries Association on 21.07.2012 through his presentation told that only four documents is required as listed under Point-1 to 4 under Annexure-2 of Regulation for the purpose of conversion of license under PFA Act in to FSSAI license, whereas the State Licensing Authority demanding the document as listed from Sl. No. 1 to 18 of Annexure-2.

लाइसेंस कन्वर्जन / नवीनीकरण की निर्धारित तिथि को छ: माह बढ़ाये जाने के निर्णय का चैम्बर ने किया स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस कन्वर्जन/नवीनीकरण के लिए निर्धारित तिथि को छ: माह बढ़ाये जाने के निर्णय का स्वागत किया है ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने फूड सेफ्टी एवं स्टैण्डर्ड ऑथरीटी, भारत सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे एक सामयिक एवं यथार्थ पर आधारित निर्णय की संज्ञा दी । उन्होंने कहा कि समयावधि का विस्तार किया जाना अत्यन्त आवश्यक था क्योंकि फूड सेफ्टी एक्ट एवं इसके नियम काफी जटिल हैं तथा इनके संबंध में लोगों को समुचित जानकारी उपलब्ध कराने की नितान्त आवश्यकता है ।

उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी कमिश्नर के कार्यालय को इस विस्तारित अवधि का सदुपयोग करना चाहिए तथा बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में प्रखंड स्तर तक कार्याशालाएं आयोजित कर फूड सेफ्टी एक्ट एवं इसके नियमों एवं अनुपालन की समुचित जानकारी से व्यवसायियों को अवगत कराना चाहिए ।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में 25 जुलाई 2012 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने घोषणा की थी कि उनका कार्यालय फूड सेफ्टी एक्ट के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करने एवं कनवर्जन/नवीनीकरण करने हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से पंजीकरण कैम्प का आयोजन कर संबंधित व्यवसायियों का पंजीकरण करेगा । चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स उक्त कैम्पों के आयोजन में अपना हर संभव सहयोग देगा । उन्होंने व्यवसायियों से अनुरोध किया कि विभाग द्वारा लगाये जानेवाले इन कैम्पों का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने व्यवसाय का पंजीकरण करावें ।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड एक्ट के नियमावली में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो कि काफी जटिल एवं अव्यवहारिक हैं । उक्त प्रावधानों के समुचित पुनरावलोकन किये जाने की नितान्त आवश्यकता है ताकि इन्हें व्यवहारिक एवं सरल बनाया जा सके । अत: उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि फूड सेफ्टी एक्ट एवं इसके नियमावली में आवश्यक संशोधन कराये जिससे कि इसकी विसंगतियाँ दूर हो सके तथा यह कानून पारदर्शी बन पाये । उन्होंने कहा कि चूंकि देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इस कानून के अन्तर्गत आता है अत: उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि कानून में कोई भी संशोधन स्टॉकहोल्डर्स के साथ व्यापक विचार-विमर्श के उपरान्त ही किया जाए ।

बैंक ऋण हेतु कोलैटरल सिक्यूरिटी पर स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन चार्ज की अधिकतम सीमा के निर्धारण पर चैम्बर द्वारा आभार व्यक्त

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए उस निर्णय जिसके द्वारा बैंक ऋण हेतु दी जानेवाली कोलैटरल सिक्यूरिटी पर लगनेवाले स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन चार्ज की एक अधिकतम सीमा तय की गई है, पर प्रसन्नता एवं संतोष व्यक्त किया है ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस अत्यन्त सामयिक एवं दूरगामी निर्णय से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक पुरानी मांग पूरी हुई है । यह निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा तथा औद्योगीकरण को तीव्रता प्रदान करेगा ।

उन्होंने सूचित किया कि उद्योगों की स्थापना / विस्तार हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए संबंधित उद्यमियों को बैंक के पक्ष में निष्पादित किये जानेवाले मोर्गेज डीड तथा कोलैटरल सिक्यूरिटी पर लगनेवाले निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में काफी अधिक था जो उद्योग के लिए एक अतिरिक्त भार बन गया था । उन्होंने आगे सूचित किया कि चैम्बर ने इस संबंध में राज्य सरकार से कई बार अनुरोध किया था ।

उन्होंने आगे कहा कि यह अत्यन्त संतोष एवं हर्ष का विषय है कि राज्य सरकार ने चैम्बर के इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया कि निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी को कम किया जाएगा । उद्योग, व्यवसाय एवं आवास हेतु लिए जानेवाले बैंक ऋण हेतु इक्वीटिबल मौर्गेज किये जानेवाले टाइटल डीड पर लगनेवाले निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 5000/- रुपये तय की गई है । इससे ऋण आवेदकों को काफी राहत मिलेगी ।

चैम्बर अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री के प्रति हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के व्यापक आर्थिक उन्नति हेतु कई एक निर्णय लेते हुए नीतियों में आवश्यक संशोधन किया है । साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फी के संबंध में लिये गये निर्णय से राज्य में निवेशकों को राहत मिलेगी जिससे बिहार में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा ।

खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवसाय के लिए हानिकारक

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रस्तावित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के खुदरा क्षेत्र में निवेश पर चिन्ता व्यक्त की है ।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में ''मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश'' विषय पर एक बैठक में अपने विचार रखते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि वर्तमान मुक्त आर्थिक व्यवस्था में वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा की आड़ में आज भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बढ़ावा देने की होड़ सी लगी हुई है । ऐसे में यह निश्चित है कि छोटी भारतीय कम्पनियाँ एवं खुदरा व्यापार को इसकी मार झेलनी पड़ेगी । भारत सरकार खुदरा प्रक्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकृत करने के लिये लालायित प्रतीत हो रही है परन्तु खुदरा प्रक्षेत्र में विदेशी कम्पनियों का आगमण भारतीय खुदरा व्यवसाय पर गहरा कुठाराघात सिद्ध होगा तथा उन्हें समाप्त ही कर देगा ।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के खुदरा क्षेत्र में घुसपैठ का पूर्णत: विरोध करता है क्योंकि इससे लाखों खुदरा व्यापारी एवं उद्यमी बर्बाद हो जायेंगे । उन्होंने कहा कि चैम्बर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मूलभूत सुविधाओं या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश का विरोध नहीं करता बल्कि इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का इन क्षेत्रों में निवेश का स्वागत करता है जो कि बिहार जैसे विकासशील राज्य के पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के सृजन हेतु अत्यावश्यक है । परन्तु खुदरा क्षेत्र में ऐसे निवेश बिहार के छोटे एवं मध्यम स्तर के खुदरा व्यापारियों के लिए बहुत ही हानिकारक होगा जो वर्तमान में विदेशी निवेश की वित्तीय क्षमता से प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति में नहीं हैं ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि खुदरा प्रक्षेत्र में विदेशी निवेश को बिहार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने की कृपा करें ।

चैम्बर अध्यक्ष ने किया एचडीएफसी बैंक की नयी शाखा का उद्घाटन

एचडीएफसी बैंक की नई शाखा का फीता काट कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। उनकी दाहिनी ओर श्री नन्हे कुमार, चैम्बर उपाध्यक्ष एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने 21 जुलाई 2012 को अपराह्न में अशोक राजपथ, पटना स्थित एचडीएफसी बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया ।

उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार देश का सबसे तेजी से विकसित होता राज्य बन गया है । इस राज्य में गत् वर्ष अनुमानत: 16.7% जीएसडीपी की दर से विकास का लक्ष्य प्राप्त किया है जो कि न सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष के 13.71% की विकास दर से काफी अधिक है बल्कि देश में सर्वाधिक भी रहा है । विकास के मामले में बिहार ने विकसित राज्यों यथा - गुजरात, पंजाब, तामिलनाडु, कर्नाटक आदि को भी पीछे छोड़ दिया है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है । उन्होने आगे कहा कि बिहार में उद्योग एवं व्यवसाय के विकास की असीम सम्भावनाएं है जिनका लाभ बैंकों को उठाना चाहिए ।

राज्य में बैंकों के कार्यकलापों पर टिप्पणी करते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि यह खेद का विषय है कि अब तक बिहार के प्रति बैकों का रवैया नकारात्मक ही है । बिहार में कार्यशील बैंक यहाँ की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाईयों को अपेक्षित निवेश नहीं कर रहे हैं जिसके कारण यहाँ के उद्योग एवं व्यवसाय को नुकसान हो रहा है जो कि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है । उन्होंने आगे कहा कि यह संतोष का विषय है कि कुछ निजी बैंकों के रवैये में सकारात्मक परिवर्तन आया है और उनके द्वारा उद्योग-धन्धों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है जो कि स्वागत योग्य है । एचडीएफसी बैंक द्वारा इस हेतु अच्छा कार्य किया गया है जिसके लिए यह बैंक बधाई एवं प्रशंसा का पात्र है ।

बैंको के नकारात्मक रवैयों के लिए महानगरों में स्थित इन बैंकों के मुख्यालयों में बैठे अधिकारियों को मुख्य रूप से दोषी ठहराते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि राज्य की जमिनी हकीकत को नकारते हुए बैंक मुख्यालय राज्य के उद्योग-धन्धों की वित्तीय आवश्यकताओं की अनदेखी कर रहा है तथा बिहार में कार्यरत अपनी बैंक शाखाओं के ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को नकार रहा है ।

अत: उन्होंने बैंकों के क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों से आग्रह किया कि वे अपने सम्बन्धित मुख्यालयों के साथ पूरे जोर-शोर के साथ इस बात को उठाये और उन्हें यह भी बताये कि उनकी शाखाओं द्वारा उद्योग-धन्धों को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण इन शाखाओं को कितना बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है । उन्होंने निजी बैंकों द्वारा इस मामले में शीघ्र पहल करने की अपील करते हुए कहा कि यदि इन बैंकों ने ऐसा नहीं किया तो बेहतर सेवा प्रदान करने के बावजूद भी उन्हें अपेक्षित संख्या में ग्राहक एवं बिजनेस नहीं प्राप्त हो पायेगा ।

एचडीएफसीबैंक को समस्त बिहार में शाखाएँ खोलने एवं उत्कृष्ट ग्राहक सेवाएँ देने के लिए इस बैंक की प्रशंसा करते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि बैंक की नई शाखा अपने ग्राहको को हर प्रकार से सन्तुष्ट करने में सफल रहेगी ।

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
११ श्रावण १९३४ (श०)
(सं० पटना ३७५) पटना, वृहस्पतिवार, २ अगस्त २०१२

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद विभाग
(निबंधन)

अधिसूचनाएं
1 अगस्त 2012

सं०I / एम'-148 / 2011-1958 - रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अधिनियम के अधीन तैयार की गयी फीस तालिका की मद सं०- A(I) के अधीन भुगतेय फीस की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैं:-

दस्तावेज का प्रकार	अधिकतम सीमा
औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों / बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची- IA के Article-40 (b) के अधीन वर्णित बंधक विलेख, जब कब्जा (Possession) नहीं दिये जाने का करार हुआ हो	5000 रु० (पाँच हजार रुपए मात्र)

बिहार - राज्यपाल के आदेश से
आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

F. No. 1/Enf.-1/FSSAI/2012
Food Safety & Standards Authority of India
Ministry of Health & Family Welfare

FDA Bhawan, Kotla Road
New Delhi - 110 002
25th July 2012

STATUTORY ADVISORY

Subject: Extending time period for seeking conversion/ renewal of existing licenses/registrations granted under the repealed Orders by FBO.

As per the provisions given under Clause 2.1.2 of Licensing/Registration of Food Businesses Regulations, 2011, the food business operator has to apply for conversion/renewal of registration/license within one year from the date of notification. This time period was to expire on 4th August, 2012. The approval of the Competent Authority is hereby conveyed for extending the time period granted to food business operators for seeking conversion/renewal of licenses by another six months with effect from 5th August, 2012.

(S.S. Ghonkrokta)
Director (Enforcement)
Tel : 23220994

To All Food Safety Commissioners of States/UTs

निबंधन हेतु चैम्बर में शिविर का आयोजन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड के अंतर्गत निबंधन हेतु रविवार, दिनांक **19** अगस्त **2012** को प व ा ह न **10** बजे से अपराहन **5** बजे तक एक शिविर आयोजित हेगा।

विनम्र निवेदन

माननीय सदस्यों की सेवा में वित्तीय वर्ष **2012-13** के सदस्यता शुल्क हेतु विपत्र चैम्बर कार्यलय से निर्गत किया जा चुका है। काफी सदस्यों ने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया है। जिन सदस्यों ने अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं भेजा है उनसे विनम्र निवेदन है कि यथाशीघ्र सदस्यता शुल्क भेजकर अनुग्रहित

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
११ श्रावण १९३४ (श०)
(सं० पटना ३७६) पटना, वृहस्पतिवार, २ अगस्त २०१२

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद विभाग
(निबंधन)

अधिसूचनाएं
1 अगस्त 2012

सं०I / एम'-148 / 2011-1959 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैं:-

क्र० सं०	दस्तावेज का प्रकार	अधिकतम सीमा
(क)	औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों / बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-6(1)(a) के अधीन यथा वर्णित हक विलेखों के निक्षेप (Deposit) से संबंधित एकरारनामा	5000 रु० (पाँच हजार रुपए मात्र)
(ख)	औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों / बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-40(b) के अधीन यथा वर्णित बंधक विलेख, जब कब्जा (Possession) नहीं दिया गया हो या दिये जाने का करार किया गया हो	20,000 रु० (बीस हजार रुपए मात्र)

बिहार - राज्यपाल के आदेश से
आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
बिहार समेकित जाँच चौकी प्राधिकार

पत्रांक : बिक्री कर / प्राधिकार-03/2011-5604, पटना दिनांक : 23.7.2012

प्रेषक : सुधीर कुमार, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव-सह-पदेन सदस्य सचिव, बिहार समेकित जाँच चौकी प्राधिकार, बिहार, पटना

सेवा में,

वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०)
मगध प्रमण्डल, तिरहुत प्रमंडल एवं पूर्णिया प्रमंडल
नोडल पदाधिकारी, डोभी/रजौली/जलालपुर/कर्मनाशा/दालकोला जाँच चौकी

विषय: सभी जाँच चौकियों पर out to out ट्रकों के लिए सुविधा टोकन की अनिवार्यता के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 19.07.2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यरत समेकित जाँच चौकियों को प्रभावी रूप से क्रियाशील बनाने के संबंध में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जाँच चौकियों को पूर्णत: क्रियाशील बनाया जाये।

अत: निदेश दिया जाता है कि सभी जाँच चौकियों पर तीनों पालियों में दोनों दिशाओं में वाहनों की चेकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। दिनांक 30.7.2012 से out to out ट्रकों के लिए सुविधा टोकन नम्बर लेना अनिवार्य करते हुए इसकी प्रविष्टी कर ही ट्रकों का प्रवेश एवं निकास किया जाय।

विश्वासभाजन
ह/०
वाणिज्य-कर-आयुक्त-सह-प्रधान सचिव-सह-पदेन सदस्य सचिव, बिहार समेकित जाँच चौकी प्राधिकार, बिहार, पटना

EDITORIAL BOARD
K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Editor
Sanjay Kumar Khemka
Secretary General

Printer & Publisher
Eqbal Siddiqui
Addl. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635, Fax No. : 0612-2677505, E-mail : bccpatna@gmail.com

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296